न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—20/2022 (2022/207) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—केसरदेवी पत्नि औकारलाल कुमावत निवासी खूंटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 16.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की स्वयं की निजी कृषि भूमि ग्राम खूंटिया में खाता संख्या 30 पुराना 23 में कुल किता 8 रकबा 4.11 है0 में खसरा नम्बर 1097/777 का नक्शे में पूर्व में जारी ट्रेस दिनांक 16.01.2006 के अनुसार मेरे स्वयं के खसरा नम्बर 783, 784 के पास 1097/777 दर्ज किया गया था जो सही है लेकिन अभी ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में मेरे द्वारा प्राप्त नक्शा ट्रेस दिनांक 10.11.2020 के अनुसार मेरे खसरा नम्बर 783, 784 के पास दर्ज नही कर बिलानाम 1096/777 को मेरे पूर्व खेतो (खसरा नम्बर) के पास दर्ज कर मेरे स्वयं के खसरा नम्बर 1097/777 को उसके आगे दर्ज कर दिया गया जो गलत हो गया है जिसको वापस दुरूस्त करने की कृपा करावे। ताकि मेरा खेत वापस मेरा खसरा नम्बर के साथ हो सके।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार रायपुर से जवाब के रूप में मौका रिर्पोट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थीया के नाम ग्राम खुटियां में आराजी संख्या 1097/777 रकबा 0.13 है0 खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के प्रकरण संख्या 112/2003 निर्णय दिनांक 13.09.2004 डिकी से आदेशानुसार मूल आराजी संख्या 777 रकबा 1.05 है0 मे से आराजी संख्या 1096/777 रकबा 0.92 है0 बिलानाम एवं आराजी संख्या 1097/777 रकबा 0.13 है0 प्रार्थीया के नाम एवं बिलानाम आराजी संख्या 794 रकबा 0.92 है0 प्रार्थीया के नाम एवं बिलानाम आराजी संख्या 794 रकबा 0.92 है0 प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 09.11.2004 से दर्ज हुआ था। उक्त न्यायालय आदेश की पालना में आराजी संख्या 777 रकबा 1.05 है0 मे से बटा नम्बर 1096/777 रकबा 0.92 है0 एवं आराजी संख्या 1097/777 रकबा 0.13 है0 की तरमीम की गई जिसकी नक्शा ट्रेस की प्रति प्रार्थीया ने दिनांक 06.01.2006 की जारी की गई है जो संलग्न है। पूर्व में तरमीम आराजी संख्या 784 व 783 एवं रास्ता के समीप की गई। सग्रीगेशन के दौरान नक्शा ट्रेस में मूल आराजी संख्या 777 की तरमीम बटा नम्बर 1096/777 व आराजी संख्या 1097/777 गलत रूप से तरमीम हो गई जिससे प्रार्थीया सग्रीगेशन से पूर्व नक्शे में तरमीम अनुसार शुद्व करवाना चाहती है जो उचित है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित जाचं रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के प्रकरण संख्या 112/2003 निर्णय दिनांक 13.09.2004 से आराजी संख्या 777 रकबा 1.05 है0 भूमि मे से 0.13 है0 भूमि जिसके नवीन बटा नम्बर 1097/777 रकबा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का मानते हुए इस आराजी के दक्षिणी पूर्वी भाग पर तरमीम करने का आदेश दिया गया था एवं शेष रकबा 0.92 है0 भूमि बिलानाम दर्ज करते हुए रकबे के बजाय आराजी संख्या 794 प्रार्थीया के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसकी पालना जरिये नामान्तकरण 20 दिनांक 09.11.2004 को प्रार्थीया के पक्ष में की गई किन्तु डीआईएलआरएमपी के तहत् सग्रीगेशन एवं तरमीम कार्य के दौरान प्रार्थीया की आराजी संख्या 1097/777 को आराजी संख्या 1096/777 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में नही कर उत्तर की ओर तरमीम कर दी गई है जिसको यथास्थान दक्षिणी पूर्वी कोने की तरफ तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का नारायणखेड़ा के ग्राम खुटियां में स्थित प्रार्थीया के नाम दर्ज आराजी संख्या 1097/777 रकबा 0.13 है0 भूमि को नक्शे में आराजी संख्या 1096/777 के दक्षिणी पूर्वी भाग पर जहां प्रार्थीया का कब्जा है उसको मध्यनजर रखते हुए संशोधित तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

16/06/2022
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—20 / 2022 (2022 / 207) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—केसरदेवी पत्नि औकारलाल कुमावत निवासी खूंटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का नारायणखेड़ा के ग्राम खुटियां में स्थित प्रार्थीया के नाम दर्ज आराजी संख्या 1097 / 777 रकबा 0.13 है0 भूमि को नक्शे में आराजी संख्या 1096 / 777 के दक्षिणी पूर्वी भाग पर जहां प्रार्थीया का कब्जा है उसको मध्यनजर रखते हुए संशोधित तरमीम की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 16.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

16/06/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा